अपील सूचना अधिकार संख्या 121/2021 (GCMS 2021/197)(आईटीआई पोर्टल नं. 212726783226371) सतवीर बडगुजर निवासी 11/69 मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर – 334004 (मोबाईल नम्बर 8387976415) बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.05.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सतवीर बडगुजर स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उसने उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 25.09.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उनके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सतवीर बडगुजर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थी:

> कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के समस्त सभी कर्मचारी की उपस्थिति पंजिका रजिस्टर की दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 24 सितम्बर 2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि देवे। इस बीच के समय के दौरान अवकाश लिया गया है तो उस अवकाश प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि देवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपने पत्र दिनांक 16.02.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी सतवीर बड़गुजर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत ऑनलाईन आरटीआई (आवेदन सं. 212629149246123) आवेदन कर सूचना चाही गई थी, जिस संबंध में प्रार्थी को ऑनलाईन आरटीआई वेबपोर्टल पर चाही गई सूचना की प्रतिलिपि के एवज में आवश्यक फीस जमा करवाने हेतु दिनांक 30.09.2021 को Fee intimation दिया गया था। प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक आवश्यक फीस जमा नही करवाई गई है, जिस कारण प्रार्थी के आवेदन पर नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सभंव नही है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है, जो सही जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्धारित शुल्क से अवगत करवा देवें और निर्धारित शुल्क जमा कराने पर उसे नियमानुसार सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजव[illegible] पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:12 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक [illegible]3.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर